न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा टी.सी. आवंटन

प्रकरण संख्या 20/2017 (GCMS: 2017/00047)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

बनाम

1. **नत्थूराम पुत्र स्व. श्री मोतीराम** जाति मोची निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **अधिशाषी अधिकारी,** नगरपालिका **सूरतगढ़**

दिनांक 11.07.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ एवं अप्रार्थी नत्थूराम के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। बहस दिनांक 02.07.2025 को सुनी गयी।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के पिता स्व. मोतीराम को चक रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 240 के 6.05 बीघा., ख.न. 243 के 7.10 बीघा, ख.न. 213/2 के 22 बीघा कुल 37.13 बीघा रकबा उपनिवेशन तहसीलदार राजस्थान नहर परियोजना, सूरतगढ़ नं. 1 के द्वारा सम्वत् 2061 में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 07.09.2006 को नवीनीकरण इस आधार निरस्त फरमाया दिया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि नगरपालिका सूरतगढ़ की पेरीफेरी क्षेत्र में आ गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ के आदेश 07.09.2006 के विरूद्ध [illegible] अजमेर में निगरानी संख्या 5376/2006 अनवा[illegible] प्रेषित की गई जिसे स्वीकार कर विचारण न्यायाल[illegible]7.09.2006 को निरस्[illegible]करण श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थी को सुनवाई [illegible] अवसर प्रदान करते हुए [illegible]नुकुल निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई आवंटन हेतु राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई आवंटन नियम) शर्त 1955 की शर्त संख्या 6 में अस्थाई आवंटन के नवीनीकरण का क्षेत्राधिकार केवल उपनिवेशन क्षेत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्राप्त है। अस्थाई आवंटन से पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार आवंटन की विधिनुसार प्रक्रिया की पालना कर आवंटन किया जा सकता है। चूंकि **अस्थाई आवंटन केवल एक वर्ष तक होता है नये वर्ष में पुनः शर्त संख्या 6 राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई आवंटन) शर्त 1955 की पालना में तहसीलदार को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है** इसलिए प्रकरण को नियमानुसार सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के तहसीलदार सूरतगढ़ को प्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि अस्थाई आवंटन को निरस्त किये जाने का मुख्य आधार केवल प्रश्नगत कृषि भूमि का नगरपालिका सूरतगढ़ के पेरीफेरी क्षेत्र में आने का लिया गया, जबकि नगरपलिका सूरतगढ़ के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2024 के अनुसार अप्रार्थी को यदि अस्थाई आवंटन की खातेदारी सनद जारी की जाती है तो नगरपालिका को आपत्ति नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र सूरतगढ़ के अस्थाई आवंटन एवं नगरपालिका सूरतगढ़ के पेरीफेरी क्षेत्र में विवाद होने से श्रीमानजी द्वारा पत्र दिनांक 28.06.2018 व दिनांक 27.12.2019 के अनुसार राज्य सरकार श्रीमान उप शासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर से उचित मार्गदर्शन मांगा गया था जिसके सम्बन्ध में श्रीमान द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.07.2023 को अमल करने एवं सनद जारी ना करने का भी निर्देश दिये गये है जिसके वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.07.2023 के सम्बन्ध कें समस्त कार्यवाही स्थगित कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में श्रीमान्‌जी द्वारा मौके की वस्तुस्थिति की जांच प्रतिवेदन तलब किया गया था, जिसकी जांच हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.11.2021 को प्रेषित की गई जिसके मद संख्या 4,7,9 अति महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कारोबार अप्रार्थी का नहीं है। इसी कृषि भूमि से अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के परिवार का पालन–पोषण होता है। प्रश्नगत कृषि भूमि के पुनः अस्थाई आवंटन हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, सूरतगढ को विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत नगरपालिका सूरतगढ़ के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि टी.सी. पट्टा धारक ने इस रकबा के टी.सी. पट्टा बहाल/नवीनीकरण का प्रार्थना अधीनस्थ अदालत तहसीलदार, सूरतगढ़ के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया है। टी.सी. पट्टा धारक को टी.सी. लीज 1 साल के लिए ही जारी की गयी है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः ही खारिज हो गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि टी.सी. नवीनीकरण के लिए पट्टा धारक को प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है तत्पश्चात उस प्रार्थना पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट आती है। टी.सी. पट्टा धारक का पेशा काश्तकारी है या नहीं?, उसके पास रकबा सीलिंग सीमा से कम या ज्यादा है, तत्पश्चात टी.सी. लीज का नवीनीकरण किया जाता है। इस प्रकरण में टी.सी. आवंटी के नाम लगातार नवीनीकरण नहीं है, जब तक उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में रहा या उपनिवेशन अधिनियम [illegible] से गर्वन में रहा तब तक उक्त रकबा टी.सी. आंवटी के नाम लगातार [illegible] नवीनीकरण नहीं था, प्रार्थी का नाम वैध काश्त दर्ज नहीं है इसलिए प्रार्थी का टी.सी. आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका था तथा प्रार्थी टी.सी. आवंटी [illegible] नही रहने से डी–कॉलोनी में गैर खातेदार नहीं हो सकता, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 7 ख के अनुसार परिवार नियोजन तरीके ना अपनाने से अयोग्यता – इन शर्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा, जिसके आवंटन के लिए आवदेन की तारीख को तीन बच्चे हो और इस शर्त के प्रभाव में आने के पश्चात किया गया आवंटन निरस्त करने योग्य होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि टी.सी. आवंटन नियमों के अनुसार टी.सी. आवंटन पट्टा की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात या टी.सी. आवंटी के फौत हो जाने के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस प्रकरण का टीसी लीज पट्टा धारक की नवीनीकरण के पश्चात लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी, प्रार्थी के नाम से रकम भी कायम नहीं हुई थी। इस प्रकरण **में प्रथम टी.सी. आवंटन भी टी.सी. आवंटन नियम 1955 के नियम 6 के प्रावधानों के विपरीत है। सलाहकार समिति की राय के बिना आवंटन अधिकारी को टी.सी. आवंटन का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रथम टी.सी. आवंटन ही निरस्ती योग्य है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ का रकबा दिनांक 07.09.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में था। उपनिवेशन क्षेत्र में नगरपालिका पैराफेरी के रकबा के खातेदारी अधिकार अस्थाई आवंटन को जारी नहीं हो सकते है। टी.सी. आवंटी को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अनेक बार टी.सी. पुख्ता आवंटन हेतु टी.सी. आवंटियों को अवसर दिये थे, परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है व यह रकबा उपनिवेशन में रहते हुए ही नवीनीकरण ना होने से व रकम/लीज राशि कायम ना [illegible] जमा होने से तथा प्रांर्थी द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र के [illegible] नहर परियोजना सरकारी भूमि के आवंटन व विक्रय नियम 1975 के [illegible] पुख्ता आवंटन हेतु आवेदन नहीं दिया है तो भी टी.सी. पट्टा नि[illegible]त हो गया है, इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का इस रकबा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। कभी भी प्रार्थी ने काश्त नहीं किया है। प्रार्थी ने इस प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की उसने इस रकबा को काश्त किया है। प्रार्थी या प्रार्थी के पिता/पति ने इस रकबा को कभी भी काश्त नहीं किया व प्रतिवर्ष रकम भी जमा नहीं करवाई है तथा यह रकबा पूर्व में भी व वर्तमान में भी कृषि योग्य भूमि नहीं है। टी.सी. आवंटी का नवीनीकरण के लिए कब्जा होना भी अनिवार्य है। प्रार्थी के पास कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इस रकबा में मौका पर नगरपालिका की सड़के बनी हुई है, उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों को लागू रहने तक नगरपालिका क्षेत्र में आ चुका था। प्रार्थी ने इस रकबा को कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं करवाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जैर प्रकरण रकबा जमाबन्दियों में शुरू से आराजीराज था। प्रार्थी के नाम का गिरदावरियों में टीसी आवंटन का अंकन नहीं है। सन् 2006 के पश्चात ते यह रकबा नरगपालिका सूरतगढ़ को हस्तान्तरण हो चुका था। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जैर प्रकरण रकबा का टी.सी. निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ को अधिकृत किया था। अस्थाई आवंटन नियम 1955 के नियम 4(ड़) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी थी, इसलिए न्यायालय तहसीलदार, सूरतगढ़ का निर्णय भी पुष्ट योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की उक्त अनवानी प्रति प्रेषित प्रकरण में वर्णित रकबा में प्रार्थी को इस जैर प्रकरण रकबा में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टी.सी. आवंटन/नवीनीकरण की शर्तों के अनुसार प्रार्थी शर्त पूरी नहीं करता है व टी.सी. नवीनीकरण [illegible] नहीं है व कब्जा काश्त भी नहीं है तथा नगरपालिका सूरतगढ़ [illegible] संस्थाओं के लिए रकबा की आवश्यकता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जैर प्रकरण रकबा नरगपालिका सूरतगढ़ को हस्तान्तरण किया जावे व उक्त रकबा [illegible] नियमानुसार नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2006 से अप्रार्थी नत्थूराम को टी.सी. आवंटन को खारिज कर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को दिये जाने के आदेश दिये गये थे । उक्त आदेश दिनांक 07.09.2006 के विरूद्ध अप्रार्थी नत्थूराम ने माननीय मण्डल में निगरानी पेश की थी।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त हेतु (टी. सी.) पर आवंटित की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग, जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के द्वारा ऐसी **राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र में आती है और इस भूमि को न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का पुख्ता आवंटन व खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तों व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2006 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन खारिज किया गया था।** उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एल. आर. संख्या 6376/2006 पेश होने [illegible] मा]ननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के द्वारा [illegible] तहसी]लदार, सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर [illegible] जिला कल]क्टर, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया था। राजस्व मण्डल के आदेश दि]नांक 16.01.2017 के अनुसार आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकारी इसी न्यायालय को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में तहसीलदार का आदेश दिनांक 07.09.2006 इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार को राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत टी.सी. पर आवंटित भूमि को खारिज करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.09.2006 में वर्णित अधिसूचनाएं 15.12.2005 व 08.02.206 लागू न होती हो। इसलिए उक्त अधिसूचनाओं के तहत अप्रार्थी को आवंटित विवादग्रस्त भूमि नगरपालिका परिधि में आ चुकी है, इसलिए उसका आवंटन निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2006 से टी.सी. रकबा खारिज कर, उक्त विवादित भूमि का कब्जा नगरपालिका, सूरतगढ़ को दिया गया था, के तथ्यों को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अप्रार्थी नत्थूराम द्वारा छिपाया गया है तथा नगरपालिका, सूरतगढ़ को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी नत्थूराम न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी नत्थूराम के पिता मोतीराम को उक्त विवादित भूमि की टी.सी. अलॉट हुई थी, जिसका मोतीराम के नाम से नवीनीकरण होता रहा। **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिंग दिनांक 16.01.1981 के अनुसार – मूल पत्रावली अस्थाई आवंटन का अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली में सायल का 01.04.1955 के निवास का कोई सबूत नहीं है इस पर अप्रार्थी को तलब किया गया और दिनांक 23.01.1981 को नत्थूराम पुत्र मोतीराम अधीनस्थ [illegible] में उपस्थित हुआ और उसने बताया कि उसके पिता [illegible] फौत हो चुका है और उनका एक ही पुत्र है, जिसने [illegible] के [illegible] पेश की है, जिसके अनुसार वह सूरतगढ़ का मूल निवासी है इसलि[illegible] तत्कालीन तहसीलदार उक्त विवादित रकबा नत्थूराम के नाम से नवीनीकरण कर दिया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: Self Attested

Sd/-
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ एवं अप्रार्थी नत्थूराम द्वारा उक्त विवादित भूमि के नवीनीकरण करने से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की धारा 6 में दिये गये प्रावधानों की पालना न कर, नत्थूराम के नाम से नवीनीकरण किया है। इसलिए नत्थूराम अस्थाई आवंटन का अधिकारी नहीं है।

मैनें, उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश दिनांक 07.09.2006 के द्वारा सूरतगढ रोही के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन (टी.सी.) जो वर्ष 1981 से नत्थूराम के नाम से नवीनीकरण हुई है, को खारिज कर दी थी, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी एलआर संख्या 6376/2006/ गंगानगर अनवानी नत्थूराम बनाम स्टेट पेश हुई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 16.01.2017 के द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड की गयी कि राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत आवंटन खारिज करने का अधिकार जिला कलक्टर को है न कि तहसीलदार को। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 07.09.2006 निरस्त कर मामला इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 16.01.2017 के अंतिम पैरा में निम्न आदेश पारित किया हैः

> अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 07.09.2006 को प्रकरण [illegible] सरकार बनाम नत्थूराम में पारित निर्णय [illegible] है और प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को [illegible] है कि **राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई [illegible] अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 16.01.2017 के अनुसार तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर, **राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के प्रावधानों में सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया है।**

जहां तक माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा), 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त पर आवंटित विवादग्रस्त भूमि सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर, जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अस्थाई आवंटन की मूल पत्रावली उनके अभिलेख में उपलब्ध न होकर मात्र नवीनीकरण पत्रावली ही उपलब्ध है, जिसके अनुसार नत्थूराम प्रकरण में मूल टी.सी. अलॉटी न होकर मोतीराम पुत्र चिमना राम है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मोतीराम की मृत्यु के पश्चात, मोतीराम का एक ही पुत्र नत्थूराम था, जो सूरतगढ़ का निवासी था जिसके आधार पर तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ़ ने वर्ष 1981 में उक्त विवादित भूमि का नवीनीकरण नत्थूराम के नाम से कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1984 तक उक्त विवादित भूमि का अस्थाई आवंटन का नवीनीकरण अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से हुआ था। उसके पश्चात का नवीनीकरण दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अप्रार्थी नत्थूराम ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवादित रकबे का वर्ष 1984 के पश्चात कभी नवीनीकरण नहीं हुआ और न ही ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.11.2001 के अनुसार उक्त भूमि नगरपालिका, सूरतगढ़ की पैराफेरी क्षेत्र में आती है, इस आधार पर **राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप—6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है।** इस आधार पर तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा आवंटन निरस्त किया गया था। अप्रार्थी नत्थूराम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य या कोई कानूनी परिपत्र आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि का अस्थाई आवंटन वर्ष 1984 के पश्चात नवीनीकरण किया गया हो।

राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थी को अस्थाई काश्त हेतु एक वर्ष के लिए आवंटित की जाती है तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो जाता है।

हस्तगत प्रकरण में उक्त विवादित सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि का, वर्ष 1981 से वर्ष 1984 तक नवीनीकरण हुआ है, जो [illegible] आवंटी मोतीराम की मृत्यु के पश्चात हुआ है और तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ़ ने नत्थूराम को अस्थाई आवंटन करने से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की धारा 6 में दिये गये प्रावधानों की पालना नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

टी.सी. भूमि आवंटी को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानूनी नज़ीरे निम्नानुसार अवलोकनीय है :

आरआरडी 2018 पेज नं. 364

A lease for temporary cultivation come ~~to end~~ to an end automatically on expiry of the term of lease

आरबीजे 199 पेज नं. 214

Temporary allotment of land for cultivation – creates no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted.

RRD 1992 Page No. 431

A lease for temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period – **an heir to a decased allottee can not claim renewal thereof as a matter of right – he should apply for a fresh allotment for himself on merits.**

संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.9(77)राज–6/2008/15 दिनांक 16.03.2018 का पैरा नं. – 2 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ9(77)/राज–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 पूर्णतया व स्वतः स्पष्ट है जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति [illegible] समय आवंटित की गई हो जब वह रकबा [illegible] क्षेत्र में था, परन्तु बाद में कॉलोनी क्षेत्र [illegible] व्यक्ति सीलिंग सीमा तक खातेदारी हक लेने का पात्र होगा यदि उस व्यक्ति का भूमि पर दिनांक 01.01.200[illegible] से पूर्व लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बीघा बारानी भूमि **आराजी काश्त टी.सी. पर मोतीराम को आंवटित की गई थी, जिसे तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ़ ने राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की धारा 6 के प्रावधानों की पालना किये बगैर ही अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से नवीनीकरण कर दिया और अप्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं ने अपने लिखित बहस में कथन किया है कि** "अस्थाई आवंटन केवल एक **वर्ष** तक होता है, **नये वर्ष में पुनः शर्त संख्या 6 राजस्थान उपनिवेशन शर्त 1955 की पालना में तहसीलदार को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है।**" अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से वर्ष 1984 तक के अस्थाई आवंटन के दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। वर्ष 1984 के पश्चात को कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अप्रार्थी नत्थूराम ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है।

उक्त विवादित भूमि सन् 1984 के पश्चात नवीनीकरण न होने के कारण अप्रार्थी नत्थूराम का अस्थाई आवंटन स्वतः की समाप्त हो गया था। **राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6)** विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है, के सम्बन्ध में अप्रार्थी नत्थूराम ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है।

अस्थाई कृषि पट्टा वर्ष 1984 के पश्चात अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से भी नवीनीकरण नहीं होने के कारण एवं राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 की धारा 6 के प्रावधानों की पालना किये बिना नत्थूराम के नाम से नवीनीकरण करने के कारण [illegible] की आवंटी की मृत्यु के पश्चात भी अस्थाई कृषि पट्टा/टी.सी. आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। इसलिए उक्त विवादित भूमि पर नत्थूराम को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हाते है। इसलिए उक्त विवादित भूमि रकबा राज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा—13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

उपरोक्त विवेचनानुसार व **कानूनी प्रावधानों** की पालना में रोही सूरतगढ के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि पर, राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की धारा 6 की पालना में 1984 के पश्चात नवीनीकरण न होने एवं नगरपालिका की पैराफेरी में आने के कारण अप्रार्थी नत्थूराम को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 240 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 243 की 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 213/2 की 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 213/3 की 9 बिस्वा, 213/4 की 22 बीघा कुल 37 बीघा 13 बिस्वा बीघा भूमि का कब्जा तुरन्त लेकर उचित व्यवस्था करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति मूल पत्रावली के साथ रखी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested